

## सत्र समापन के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन

( दिनांक 17 मार्च, 2007 )

द्वितीय विधान सभा के ग्यारहवें और चौथेबजट सत्र का आज अंतिम दिवस है। यह सत्र दिनांक 19 फरवरी से महामहिम राज्यपाल महोदय श्री इक्कडू श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन के द्वारा विधान सभा में दिए गए उनके प्रथम सम्बोधन से आरंभ हुआ। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सत्र दिनांक 19 फरवरी से 30 मार्च, 2007 तक की अवधि के लिये निर्धारित था तथा कुल 24 बैठकें प्रस्तावित थी। किन्तु आकस्मिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्मित स्थिति को विचार में लेते हुये सभा की सत्रावधि को कम करने का निर्णय लिया। तदनुसार सत्र का समापन का आज दिनांक 17 मार्च को हो रहा है।

यद्यपि सत्रावधि कम हुई किन्तु संसदीय एवं विधायी कार्यों में कोई भी रुकावट न हो, इस दृष्टि से पूर्व में घोषित अवकाश के दिनों में तथा शनिवार को भी बैठकें निर्धारित की गई, फलस्वरूप बैठकों की संख्या 18 दिन निर्धारित हुई, एवं बिना भोजन अवकाश के प्रति दिन सायंकाल 7.00 बजे तक बैठक का समय निर्धारित किया गया, किन्तु इससे भी देर तक बैठकर कार्य सम्पादित किया गया। शनिवार को भी बैठक रखने का निर्णय लेते हुये कुल 31 घण्टा 37 मिनट अतिरिक्त रूप से सभा से संबंधित कार्य सम्पादित किया और इस प्रकार सत्रावधि में 13 दिन की कमी करने के बावजूद व्यावहारिक रूप में बैठकों के दिनों में समय के मान से कोई प्रभावी कमी नहीं हुई। इस प्रकार माननीय सदस्यों ने जनप्रतिनिधि के रूप में सभा में अपने दायित्वों को गंभीरतापूर्वक पूर्ण किया, इस हेतु मैं सदन के नेता, नेता प्रतिपक्ष एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के उपरांत छत्तीसगढ़ विधान सभा ने उत्कृष्ट संसदीय परम्पराओं को स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता को व्यवहार में प्रदर्शित करने की परम्परा का सूत्रपात गर्भगृह में न आने के फैसले के साथ और तदनुसार नियमों में भी उसका उल्लेख करते हुये प्रारंभ किया था, उसका पालन करने के प्रति भी अपनी भावना एकाधिकबार प्रदर्शित की थी। मुझे आज यह उल्लेख करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान सत्र में एकाधिक अवसर उत्तेजना के आये भी किन्तु प्रतिपक्ष के किसी भी सदस्य ने गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया। मैं इस हेतु प्रतिपक्ष के सदस्यों की प्रशंसा करते हुये उन्हें बधाई देता हूँ। किसी भी संसदीय सदन की गरिमा एवं प्रतिष्ठा सदन के सदस्यों के संसदीय कार्यों एवं व्यवहार पर निर्भर करती है। मुझे यह कहते हुये अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा के पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की आपस में समन्वय एवं अपनी सकारात्मक सोच को इस सत्र में स्थापित करने का जो प्रयास किया है, वह लोकतांत्रिक भावना के आदर्श स्वरूप का प्रतिबिम्ब है।

बजट सत्र का महत्व इसलिए भी अधिक है कि इस सत्र में वित्तीय कार्यों का सम्पादन किया जाता है। सरकार के द्वारा आगामी वर्ष की सम्पूर्ण कार्य योजना को सदन के समक्ष रखा जाता है, जिस पर माननीय सदस्यों के वैचारिक विश्लेषण उपरांत प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन, की दशा और दिशा तय होती है।

इस सत्र की यह विशेषता रही कि राज्य के विकास से सम्बद्ध समग्र विषयों पर, विभागों की मॉगों पर सारगर्भित चर्चा के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण एवं वित्त मंत्री जी के बजट भाषण, बजट पर सामान्य चर्चा, अनुदान की मांगों तथा विनियोग विधेयक पर चर्चा में माननीय सदस्यों ने शासन की कार्य योजना में कमियों को इंगित करते हुये अपने महत्वपूर्ण सुझावों से शासन को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया ।

माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एवं चर्चाओं के माध्यम से राज्य हित के समस्त विषय चाहे वे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अथवा संरक्षण से जुड़ा हुआ हो अथवा राज्य के शिक्षा-संस्कृति, पर्यावरण एवं औद्योगिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अथवा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कल्याण का विषय हो, सभी विषयों पर अपनी अभिरुचि प्रदर्शित करते हुये लोक कल्याण के प्रति वचनबद्धता स्थापित की ।

वर्तमान सत्र के अंतिम दिनों में नक्सलियों द्वारा पुलिस कैंप पर हमले में 55 पुलिस कर्मियों की मौत से सम्पूर्ण सदन स्तब्ध रह गया । किन्तु इस अवसर पर भी प्रतिपक्ष एवं पक्ष के सदस्यों ने राजनैतिक प्रतिबद्धताओं को महत्व नहीं देते हुये अपने प्रदेश एवं प्रदेश की दो करोड़ जनता की भावना का सम्मान एवं समस्या के हल के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करते हुये सदन में घटना की चर्चा के दौरान रचनात्मक ढंग से अपने विचार व्यक्त किये और पूरे सदन ने नक्सलवाद को समाप्त करने के अपने दृढ़ निश्चय को व्यक्त किया । प्रदेश की नक्सल समस्या के प्रति सम्पूर्ण सदन का एकमतीय रचनात्मक रुख निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है ।

इस अवसर पर सभा ने मृतकों के सम्मान में 5 मिनट के लिये अपनी कार्यवाही भी स्थगित की ।

छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा राष्ट्रकुल संसदीय संघ का सदस्य है । प्रत्येक मार्च का द्वितीय सोमवार राष्ट्रकुल दिवस के रूप में समस्त राष्ट्रकुल देशों में मनाया जाता है । इस अवसर पर राष्ट्रकुल संगठन का संदेश **“सम्मान भिन्नता का, संवर्धन सद्भाव का”** का सभा में आसंदी से वाचन किया गया और विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को संसदीय व्यवस्था एवं संसदीय प्रक्रियाओं से अवगत कराने के लिये उन्हें आमंत्रित कर सभा की कार्यवाही दिखाई गई ।

वर्तमान सत्र में भिलाई, जामुल, बस्तर एवं कुम्हारी की नगर निगमों, नगर पालिका के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं अनेक शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र-छात्राओं, के साथ ही लगभग 3500 दर्शकों ने भी कार्यवाही देखी और संसदीय व्यवस्था के प्रति अपने विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया ।

माननीय सदस्यों को उनके कार्य निष्पादन में सुविधा की दृष्टि से लेपटाप उपलब्ध कराये गये हैं और इसके साथ ही विधान सभा की वेबसाइट भी विकसित कर सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारीयों वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गई है । विधान सभा की गतिविधियों एवं कार्यवाहियों को माननीय सदस्यों एवं आम जन तक शीघ्रता से पहुँचाने के उद्देश्य से सभा के प्रति दिन की कार्यसूची, सभा में चर्चा हेतु स्वीकृत तारांकित प्रश्न, सभा

की कार्यवाही का संक्षिप्त कार्यवाही विवरण एवं सदस्यों के लिये विभिन्न सूचनायें सम्मिलित कर परिवहित किया जाने वाला पत्रक भाग—1 वेबसाइट पर प्रति दिन अपलोड किये जाते हैं । विधान सभा की इस वेबसाइट में माननीय सदस्यों के जीवन परिचय, सभा के द्वारा पारित विधेयक, नियमावली, वेतन भत्ते सहित अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यवाहियाँ अपलोड कर दी गई है। फलस्वरूप विधान सभा की वेबसाइट **वर्तमान सत्र** में 1726 विजिटर्स के द्वारा सर्च की गई और इन 1726 में से 503 नये विजिटर्स हैं । विगत 30 दिनों में वेबसाइट के 3325 पृष्ठ विजिटर्स के द्वारा देखे गये और वेबसाइट की स्थापना के दिन से अब तक 14747 विजिटर्स ने 17383 पेज देखें ।

मैं यहाँ यह जानकारी भी देना चाहता हूँ कि विधान सभा की वेबसाइट से छत्तीसगढ़ राज्य सहित राष्ट्रपति भवन, संसद एवं अन्य विधान सभाओं की वेबसाइट को भी लिंक कर दिया गया है । यह भी उल्लेखनीय है कि इस वेबसाइट की परिकल्पना, विकसित करना एवं प्रति दिन इसे अद्यतन करने का कार्य विधान सभा सचिवालय द्वारा ही किया गया है ।

प्रति वर्ष बजट सत्र के दौरान उत्कृष्ट विधायक एवं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं । सत्र की सत्रावधि कम होने के कारण यह आयोजन इस सत्र में नहीं किया गया । यह आयोजन अब आगामी मानसून सत्र में सम्पादित होगा ।

मैं अब इस सत्र में सम्पादित कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से अवगत करा रहा हूँ :—

इस सत्र के कुल 18 कार्य दिवसों में कुल लगभग 111 घण्टे चर्चा हुई । 18 बैठकों में से 14 बैठकों में 135 प्रश्न सभा में पूछे गये, जिनके उत्तर शासन द्वारा दिये गये । इस प्रकार प्रति दिन प्रश्नों का औसत लगभग 10 प्रश्नों का रहा । इस सत्र में 1430 तारांकित एवं 782 अतारांकित प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल 2212 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, इस सत्र में कुल 56 स्थगन की सूचना प्राप्त हुई । शून्यकाल की 77 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें 33 सूचनाएं ग्राह्य और 44 सूचनाएं अग्राह्य रही । वर्तमान सत्र में 307 याचिकाएं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गई, जिनमें 92 ग्राह्य व 215 अग्राह्य रही । 40 अशासकीय संकल्प माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये, जिनमें से 9 संकल्प ग्राह्य हुए तथा एक संकल्प स्वीकृत हुआ एवं दो अस्वीकृत हुए । इस सत्र में 3 विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई और 3 विधेयकों पर चर्चा हुई तथा 3 पारित हुए ।

वित्तीय कार्यों के अंतर्गत तृतीय अनुपूरक अनुमान पर 4 घण्टे 7 मिनट, वर्ष 2007—08 के बजट की अनुदान माँगों पर 50 घण्टे 21 मिनट चर्चा हुई तथा विनियोग विधेयक पर 4 घण्टे 40 मिनट चर्चा हुई ।

वर्तमान सत्र में लोक लेखा समिति के 14 प्रतिवेदन, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, नियम समिति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के एक—एक प्रतिवेदन तथा विशेषाधिकार समिति के दो प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुये । इनके अतिरिक्त शासन के समस्त विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा महालेखाकार का वर्ष 2005—06 का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत हुआ ।

वर्तमान सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये महिला एवं बाल कल्याण विभाग में नमक के क्रय एवं स्कूल शिक्षा विभाग के गैस चूल्हों के क्रय के संबंध में सदस्यों की भावना के अनुरूप दोनों प्रकरण प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित किये गये ।

बजट सत्र के संचालन में मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष तथा समस्त माननीय सदस्यों के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । आप सभी के समन्वित प्रयास से इस सदन का निर्बाध संचालन संभव हो पाया ।

मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष एवं सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे सहयोग दिया ।

मैं सम्माननीय पत्रकार साथियों एवं मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सभा में सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया ।

मैं छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रश्नकाल की कार्यवाही को रिकार्ड करके प्रति दिन प्रसारित किया । साथ ही छत्तीसगढ़ दूरदर्शन, आकाशवाणी एवं अन्य मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण का प्रसारण किया ।

सत्र की पूर्णता के अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था पूरे सत्र में रखी ।

मैं विधान सभा के सचिव सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया ।

सत्र के समापन के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है । आगामी सत्र जुलाई माह में संभावित है । तिथियों का निर्धारण यथा समय प्रस्तावित राष्ट्रपति के निर्वाचन कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा ।

अंत में हम सब छत्तीसगढ़ के विकास के लिये कृत संकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ ।

**धन्यवाद ।**